

26/3/18 पत्रावली-पेश हुई। आग्रहण अपरिचाल 1
तारखे तबका पत्रावली दिनांक 26/3/18
को पेश हो।

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेखा

26/3/18 समय पर उपस्थित पीठारीन अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर है। अनुभव मय है/पदरिक्त है
अतः पत्रावली दिनांक 26/3/18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, करेखा

14/4/18 पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में
आदेशिका दिनांक 29/11/10 को
जारी अंतरिम आदेश। अनुभव
मूलवाद में सुनवाई अभी की
रेकार्ड एवं माफे की प्रथा
आगामी तारीख तक बनाई रखी
जाने के आदेश पारित किए गये
थे जिन्हें तत्पश्चात् पेशीदार
पेशी अस्पष्ट स्पष्टान वबापा
जाता रहा है। उचितपत्र पर
प्रकारण को सुनागमा मिल
वाद के निष्कारण में समझ लगान/
स्वाभाविक है।

अतः प्रकरण में जारी अंतरिम
स्पष्टान आदेश को कन्फर्म किए जाते
हैं आदेश। उदात्त विधि जाते हैं।
मह आदेश। मूलवाद के निष्कारण

तारीख हुक्म	न्यायालय पदेन सहायक न्यायाधीश या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज कोटवा (पीलवाडा) 43 17 ५०५७	नम्बर अहकाम हुक्म में
	<p> तक प्रभाव में रहेंगे। प्रभाव की प्रमाण शुभ्रा होकर अंतर है समझी जावे मूल का डरे साथ संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 15/07/18 को सरे इजलास सुनाया गया। </p> 	